भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 1764

सोमवार, 17 मार्च, 2025 (26 फाल्गुन, 1946 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस

1764. श्री बाबू राम निषाद:

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पायलटों के लिए पारंपरिक भौतिक लाइसेंस से इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (ईपीएल) में परिवर्तन के संबंध में कोई प्रभाव आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) डिजिटल पायलट लाइसेंस की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने और उनके संभावित दुरुपयोग या धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार को ईपीएल के कार्यान्वयन के संबंध में एयरलाइनों, पायलट संघों या अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकायों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, यदि हां, तो इसके उत्तर में कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस (ईपीएल), कार्मिक लाइसेंसिंग और डॉक 9379 - स्टेट्स पर्सनेल लाइसेंसिंग सिस्टम की स्थापना और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं के मैनुअल के आईसीएओ एनेक्स 1 में यथा-निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के विनियमों के अनुरूप जारी किया गया है। भारत में ईपीएल को आईसीएओ की मंजूरी के साथ 20 फरवरी 2025 को शुरू किया गया है।

तदनुसार, ईपीएल के सत्यापन के लिए डीजीसीए इंडिया जॉब ऐड को आईसीएओ वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक पर्सनेल लाइसेंस शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया है। आईसीएओ ने कार्ड लाइसेंस के ईपीएल में बदलाव के ब्लूप्रिंट, रोडमैप, चुनौतियों आदि जैसी आवश्यक अपेक्षाओं के अनुपालन पर जॉब एड प्रकाशित किया था। उपर्युक्त सभी कार्य आईसीएओ ईपीएल टास्क फोर्स के साथ कई चर्चाओं के बाद किए गए हैं।

भारत द्वारा ईपीएल की सुरक्षा विशेषताएं, जिनमें गतिशील और स्थिर दोनों सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं, आईसीएओ एनेक्स 1 के विनिर्देशों के पूर्णतया अनुपालन में हैं।

(ग) : हितधारक परामर्श के भाग के रूप में, चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए मसौदा योजना के साथ एक सार्वजनिक नोटिस 5 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं और उसके बाद प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया था।

इसके अलावा, जॉब ऐड का विवरण आईसीएओ और डीजीसीए इंडिया द्वारा कार्यान्वयन और निरीक्षकों द्वारा सत्यापन के लिए लागू प्रक्रियाओं के संबंध में सभी अन्य आईसीएओ संविदाकारी राष्ट्रों को प्रसारित किया गया है।
